ई मेल

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः—जीओ— 20 /डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/ 2010—11 दिनांकः23 फरवरी—2011

विषयः जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—डी—41/अड़तीस—2— 11—2(82)डी/2009, दिनांक 22 फरवरी 2011 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा डी0आर0डी0ए0 (प्रशा0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010—11 के लिए अनुदान सं0 13 में प्राविधानित धनराशि रू0 1952.31 लाख में से रू0 103.00 लाख (रुपये एक करोड़ तीन लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु आयुक्त ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है । शासन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि 103.00 लाख (रुपये एक करोड़ तीन लाख मात्र) संलग्नक के कालम—3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है।

1— धनराशि के आहरण तथा उसके व्यय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या डी—41/अड़तीस—2— 11—2(82)डी/2009, दिनांक 22 फरवरी 2011 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2— योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा धनराशि के आहरण मे वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशा0) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय —समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3—धनराशि के आहरण व वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतयः जिम्मेदार होंगे यदि कभी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जायेगी।

4— नवसृजित जनपद छत्रपति शाहूजी महाराज नगर को जनपद सुल्तानपुर एवं रायबरेली से सम्मिलित विकास खण्डों की संख्या के आधार अनुपातिक धनराशि तत्काल हस्तान्तरित की जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाए ।

5—आवंटन में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित प्रकरण की सूचना कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

6—इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्यक के अनुदान संख्या—13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2501—ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम—01—समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम—800—अन्य व्यय—01—केन्द्रीय आयोजनागत/

1oV

केन्द्र द्वारा पुरोनिधनित योजनाएं–09–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के–75/रा–25–रा) –43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

7– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ संख्या–178 पर कर ली गई है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉकः–जीओ–20/डीआरडीए (प्रशा0)/लेखा/ 2010–11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग–1/2 तथा नियोजन अनुभाग–3
6. ग्राम्य विकास अनुभाग–3, उ0प्र0शासन।
7. अनु सचिव, ग्राम्य विकास अनु0–2 , उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या–डी–41/अड़तीस–2–[illegible]11–2(82)डी/2009, दिनांक 22 फरवरी 2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

Annexure of Letter no.:G.O. 20/DRDA/Admin/Lekha/2011
Dated: 23-2-2011

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
1	AGRA	0.43	23.37
2	ALIGARH	2.17	19.71
3	ALLAHABAD	2.32	20.57
4	AMBEDKAR NAGAR	0.00	11.18
5	AURRIYA	0.82	13.81
6	AZAMGARH	2.32	20.57
7	BADAUN	2.32	20.57
8	BAGPAT	0.96	16.33
9	BAHRAICH	2.24	19.95
10	BALIA	1.43	17.74
11	BALRAMPUR	0.96	14.26
12	BANDA	1.47	15.89
13	BARABANKI	1.91	18.88
14	BAREILLY	2.24	24.79
15	BASTI	1.95	19.00
16	Sant R nagar (Bhadohi)	1.97	17.48
17	BIJNOUR	1.99	19.12
18	BULANDSHAHAR	1.47	20.60
19	CHANDOULI	1.35	15.50
20	Chitrakut	1.59	16.04
21	DEORIA	1.54	18.09
22	ETAH	1.97	17.49
23	ETAWAH	1.56	16.19
24	FAIZABAD	2.06	24.82
25	FARRUKHABAD	1.93	17.36
26	FATEHPUR	1.90	18.84
27	FIROZABAD	1.51	16.02
28	GAUTAM BUDH NAGAR	1.49	13.81
29	GHAZIABAD	1.97	17.49
30	GAZIPUR	1.76	21.62
31	GONDA	1.20	17.00
32	GORAKHPUR	1.39	17.59
33	HARDOI	1.82	18.97
34	MAHAMAYA NAGAR	1.06	14.59
35	J.R. PHULE NAGAR	0.30	12.15
36	JAUNPUR	1.14	22.78
37	JHANSI	1.70	16.62
38	KANNAUJ	1.30	15.35
39	KANPUR DEHAT	1.97	17.49
40	KANPUR NAGAR	0.57	22.28

DRDA Administration (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the District	State Share Being Released	Progressive Total
1	2	3	4
41	KANSHI RAM NAGAR	0.00	11.18
42	KAUSHAMBI	1.97	17.49
43	KHERI	0.00	18.73
44	PADRAUNA (Kushi Nagar)	0.00	12.77
45	LALITPUR	1.42	15.73
46	LUCKNOW	1.96	17.48
47	MAHARAJGANJ	1.22	16.70
48	MAHOBA	1.58	14.11
49	MAINPURI	1.50	16.00
50	MATHURA	1.02	19.26
51	MAUNTAH BHANJAN	1.78	16.91
52	MEERUT	1.63	18.00
53	MIRZAPUR	0.70	15.04
54	MORADABAD	0.00	12.77
55	MUZAFFARNAGAR	1.81	21.18
56	JALAUN	0.67	13.35
57	PILIBHIT	1.54	16.15
58	PRATAPGARH	1.76	18.82
59	RAI BARELI	2.30	20.56
60	RAMPUR	1.71	16.69
61	HAMIRPUR	1.96	17.48
62	SAHARANPUR	2.23	19.94
63	SANT KABIR NGR	0.00	11.19
64	SHAHJAHANPUR	2.23	19.94
65	SIDHARTH NAGAR	1.09	16.28
66	SITAPUR	1.02	16.45
67	SHRAVASTI	0.13	9.49
68	SULTANPUR	2.30	20.56
69	SONBHADRA	1.96	22.03
70	UNNAO	1.85	21.43
71	VARANASI	1.61	16.38
	Total	103.00	1242.00

(Rs. One Crore Three Lakh Only)

23/2/2011

(Mahesh Kumar Agnihotri)
Additional Commissioner (Accounts)
Rural Development

जी0 ई0 20/2011/2014
23/2/11

संख्या–डी–41 /अड़तीस–2–10–2(82)डी/2009

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनु0–2 लखनऊः दिनांकः22फरवरी, 2011

विषयः– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–990/लेखा/डी0आर0डी0 ए0 (प्रशा0)/2010–11, दिनांक 22–12–2010 एवं पत्र संख्या–109 /लेख/डी0आर0 डी0ए0 प्रशासन/2010–11 दिनांक 19–01–2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या–डी–410/38–2–10– 2(82)डी/09, दिनांक 27–4–2010, शासनादेश संख्या–सा0 325/38–2–10–2(82)डी/09, दिनांक 16–07–2010, शासनादेश संख्या–डी –1060/38–2–10– 2(82)डी/09, दिनांक 28–01–2011 एवं शासनादेश संख्या–डी –1085/38–2–10– 2(82)डी/09, दिनांक 02–02–2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 19,52,31,000/–के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 8,13,31,000/– में से अगली किश्त की धनराशि रू0 10300000/– (एक करोड़ तीन लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश प्राप्त करके ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा, एवं अप्रयुक्त धनराशि इसी वर्ष ससमय समर्पित कर दी जायेगी।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 27–4–2010 में धनराशि के आहरण तथा उसके व्यय आदि के सम्बन्ध में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–"2501–ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–09–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के–75 /रा–25–रा)–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान" के नामें डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0– 101/दस–2011, दिनांक 21–02–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
/
(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

P-1GO

संख्या–(1)-41 (1)/अड़तीस–2–2011, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) वित्त (आय–व्ययक) अनु0–2/(व्यय नियंत्रण) अनु–2/राज्य योजना आयोग–1/2 तथा नियोजन अनु–3
(6) ग्राम्य विकास अनु0–3
(7) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

P-1GO